(21)

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1557–दो/2007 विरूद्व आदेश दिनांक 17–7–2007 – पारित – व्दारा आयुक्त, रीवा संभाग रीवा – प्रकरण कमांक 26/2005–06 निगरानी

श्रीकांत द्विवेदी पुत्र रामसखा द्विवेदी
ग्राम त्योंथरा नं–2 तहसील अमरपाटन
जिला सतना , मध्य प्रदेश
विरूद्व ——आवेदक

1– रामश्रय द्विवेदी पुत्र मधुसूदन प्रसाद
2– मिथलेश पुत्र मधुसूदन प्रसाद
(मृत वारिस)
अ– जयप्रकाश द्विवेदी ब– ओमप्रकाश द्विवेदी
पुत्रगण स्वर्गीय मिथलेश द्विवेदी
3– सुरेशप्रसाद पुत्र रामसखा द्विवेदी
सभी निवासीगण त्योंथरा नं–2 तहसील
अमरपाटन जिला सतना मध्य प्रदेश। ——अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री प्रदीप सिंह)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री सुशील शुक्ला)

आ दे श

(आज दिनांक 4 – 10–2017 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 26/2005–06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17–7–2007 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण ने नायव तहसीलदार वृत्त मोहारी कटरा तहसील अमरपाटन के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि वह एंव आवेदक एक ही वॅशवृक्ष के हैं उनके बीच पारिवारिक भूमियों का हिस्सा बांट दिनांक 19–5–77 को हो गया है। बटवारे के अनुसार सभी पक्ष अपनी अपनी भूमियों पर खेती करते आ रहे हैं । भूमि सर्वे कमांक 201 तथा 202 संयुक्त परिवार की है परन्तु पटटा

आवेदक (इस प्रकरण के अनावेदक) के नाम है दोनों आराजी का भी पूर्व में बटवारा हो चुका है परन्तु श्रीकांत व्दारा सिविल वाद दायर करने पर प्रकरण कमांक 133 ए 94 में पारित आदेशानुसार उक्त आराजी में आवेदकगणों का हिस्सा सिद्व हुआ है जिसके विरूद्व उच्च न्यायालय तक प्रकरण गया है एंव अपील निरस्त हुई है इसलिये उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में बटवारा स्वीकार किया जाय। नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 50 अ 27/01–02 पॅजीबद्व किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 26–2–2003 पारित करते हुये ग्राम त्योंथरा नं. 2 की भूमि सर्वे कमांक 201 रकबा 13.62 एकड तथा सर्वे कमांक 202 रकबा 0.66 एकड़ में रामाश्रय प्रसाद का हिस्सा 1/3, मिथलेश प्रसाद का हिस्सा 1/3 , सुरेश प्रसाद का हिस्सा 1/6 एंव श्रीकांत का हिस्सा 1/6 बटवारा स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन जिला सतना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन ने प्रकरण कमांक 104/02–03 अपील में पारित आदेश दिनांक 26–8–2003 से नायव तहसीलदार वृत्त मोहारी कटरा तहसील अमरपाटन का आदेश दिनांक 26–2–2003 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्व अपर कलेक्टर जिला सतना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर सतना ने प्रकरण कमांक 39/2003–04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 12–9–2005 से निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन का आदेश दिनांक 26–8–2003 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत हुई। आयुक्त रीवा संभाग ने प्रकरण कमांक 26/2005–06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17–7–2007 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों को सुना गया तथा आवेदक की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने तथा आवेदक की ओर से

प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि भूमि सर्वे कमांक 201 तथा 202 संयुक्त परिवार की है अथवा नहीं है एंव इस भूमि में संयुक्त परिवार का हिस्सा है अथवा नहीं ? पक्षकारों के बीच स्वत्व का विवाद माननीय व्यवहार न्यायाधीश अमरपाटन के न्यायालय में वाद कमांक 133 ए/1994 चला है जिसमें पारित आदेश दिनांक 11–7–1998 से इस आराजी में रामाश्रय वगैरह का स्वत्व होना निर्णीत हुआ है। इस आदेश की प्रथम अपील अपर जिला न्यायाधीश मेहर के यहॉ उसके वाद माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में द्वित्तीय अपील कमांक 2255/2000 दायर हुई है जिसमें पारित आदेष दिनांक 9–5–2001 से अपील निरस्त हुई है। व्यवहार न्यायालयों के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है जिसके पालन में नायव तहसीलदार वृत्त मोहारी कटरा तहसील अमरपाटन ने आदेश दिनांक 26–2–2003 पारित करके पक्षकारों के बीच अमल कराया है। यह निर्विवाद है कि यदि माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में राजस्व न्यायालय आदेश पारित करता है तब ऐसे आदेश की अपील पालनकर्ता राजस्व न्यायालय के वरिष्ठ में नहीं होगी, अपितु व्यवहार न्यायालय के वरिष्ठ न्यायालय में होगी। इस सम्बन्ध में अपर कलेक्टर सतना ने प्रकरण कमांक 39/2003–04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 12–9–2005 में सही निष्कर्ष निकाला है जिसके कारण आयुक्त रीवा संभाग ने आदेश दिनांक 17–7–2007 पारित करते समय अपर कलेक्टर सतना के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है । अपर कलेक्टर सतना व्दारा पारित आदेश दिनांक 12–9–2005 में एंव आयुक्त रीवा संभाग व्दारा पारित आदेश दिनांक 17–7–2007 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अस्वीकार करते हुये आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 26/2005–06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17–7–2007 यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर